सरकार के आदेशानुसार कोरोना के मद्देनजर पूर्वानुभव को मान्यता कायाक्रम से जुडे प्रशिक्षण स्थगित करने की सूचना

18 मार्च 2020

मान्यवर,

कोरोना के खतरों को देखते हुए अनेक राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन ने आगामी 31 मार्च 2020 तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। इस आदेश के आलोक में पूर्वानुभव को मान्यता कार्यक्रम का संचलन कर रही सभी एजेन्सियों को संबंद्ध राज्य सरकारों अथवा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा जारी निर्देश का अनुपालन करने की सलाह दी जाती है। इस बारे में कोई दुविधा होने पर आप संबद्ध स्थानीय निकाय से संपर्क कर सकते हैं।

यदि आपने सरकार के आदेशानुसार प्रशिक्षण केन्द्र को बंद रखने का निर्णय लिया है तो आपको हमें rplpmkvy@nsdcindia.org पर लिखकर इस बात की सूचना आवश्यक तौर पर देनी होगी। इसके साथ ही आपको नीचे उल्लेखित दस्तावेज या जानकारियां भी उपलब्ध करानी होगी

1. केन्द्र को बंद करने संबंधी सरकारी आदेश की प्रति
2. प्रभावित बैचों की तिथि, स्थान एवं चरण की जानकारी
3. सरकारी आदेशानुसार प्रशिक्षण को फिर से शुरु करने की संभावित तिथि

आप द्वारा भेजी गई सूचनाओं के आधार पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की सलाह से प्रभावित बैचों के आरंभ एवं अंत तथा मूल्यांकन संबंधी तिथियों को स्किल इंडिया पोर्टल पर परिवर्तित करने का प्रावधान करेगा।

यहां यह बताना आवश्यक होगा कि मंत्रालय की पूर्व सूचना के अनुसार नए बैचों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 ही रहेगी।